# कार्यालय महालेखाकार (आ. एवं रा. क्षे. ले. प.) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–WI-II/I-13015/WRD/K-310//2019-20/473 दिनांकः– 4.10.19

**उप निदेशक जल विज्ञानं**
**जल संसाधन विभाग,जयपुर**

विषयः– आपके कार्यालय का **ऑडिट सर्टिफिकेट** अवधि **2018-19.**

आपके कार्यालय के उपरोक्त **ऑडिट सर्टिफिकेट** की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निवेदन है कि निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुच्छेदों की अनुपालना इसकी प्राप्ति के एक माह के भीतर राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 2(3)/एफ.डी./ए.ई.आई./66 दिनांक 05.08.1962 के अनुसार की जाकर इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करें। नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी की अनुपालना इस कार्यालय के निर्माण कार्य लेखा परीक्षा दल को आगामी निरीक्षण के समय प्रस्तुत करें जो तत्स्थान ही अनुपालना की जांच करेगा।

संलग्नः– **ऑडिट सर्टिफिकेट** की एक प्रति
मय अनुलग्नक

**लेखा परीक्षा अधिकारी**
**डब्ल्यू.आई.-II**

Jr Acct
10/10

R.R. No. 779
17/10/19

**कार्यालय मुख्य अभियंता, गुण नियंत्रण एवं सतर्कता एवं नोडल अधिकारी, एसपीएमयू–एनएचपी, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर के लेखावधि 04/2018 से 03/2019 तक के लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र का प्रारूप निरीक्षण**

**भाग प्रथम अ**

**प्रस्तावना** – कार्यालय मुख्य अभियन्ता, गुण नियंत्रण एवं सतर्कता एवं नोडल अधिकारी, एसमीएमयू–एनएचपी, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर के लेखावधि 04/2018 से 03/2019 तक की **National Hydrology Project** के लिए विश्व बैंक से प्राप्त बाहय सहायता की लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर के दल के निम्नलिखित सदस्यों द्वारा दिनांक 05.09.19 से 06.09.19 तक किया गया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री बृजपाल सिंह यादव | स. लेखापरीक्षा अधिकारी | दिनांक 05.09.19 से 06.09.19 तक |
| 2. | श्री रामरतन मीणा | पर्यवेक्षक | दिनांक 05.09.19 से 06.09.19 तक |

| | |
|---|---|
| व्यय राशि – | 1,50,54,183/– |
| (–) डिपोजिट 5 में रोकी गयी राशि | 00 |
| पुनर्भरण हेतु योग्य राशि | 1,50,54,183/– |
| 50 प्रतिशत पुनर्भरण– | 75,27,091/– |

**भाग I (ब)**

**शून्य**

**भाग II (स)**

**शून्य**

**भाग II (अ)**

**शून्य**

## भाग–II ब

**अनु.सं.01 विश्व बैंक बाहय सहायता प्राप्त National Hydrology Project का वर्ष 2018–19 में हुए व्यय में से अपुनर्भरण योग्य राशि रू. 75.27 लाख।**

मुख्य अभियन्ता गुण नियन्त्रण एवं सतर्कता एवं नोड़ल अधिकारी SPMU-NHP जल संसाधन विभाग जयपुर के अधीन उपनिदेशक (जल विज्ञान) जल संसाधन विभाग जयपुर द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान विश्व बैंक से ऋण सहायता के तहत **National HydrologyProject** के अन्तर्गत कुल राशि रू. 15054183 विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार से व्यय किया गया।

| क्र.सं. | मद | व्यय राशि रू. |
|---|---|---|
| 1 | प्रशिक्षण पर व्यय | 4349911 |
| 2 | वाहन किराया | 350199 |
| 3 | यात्रा भत्ता | 205998 |
| 4 | रेन गेज क्रय पर व्यय | 188400 |
| 5 | स्टेशनरी व्यय | 43500 |
| 6 | कार्यालय व्यय | 9916175 |
| | **योग** | **15,05,41,183** |

National Hydrology Project (Loan No.8725-IN) के लिए विश्व बैंक से किए गए लोन एग्रीमेन्ट की शर्तों (अनुसूची 2 के अनुभाग 4 के बिन्दु संख्या 2) के अनुसार व्यय श्रेणी (1) के अन्तर्गत योजना अधीन वर्कशाप व प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत राशि देय कर सहित ही पुनर्भरण योग्य है पुनर्भरण दावों की समीक्षा में पाया गया कि कार्यालय द्वारा 100 प्रतिशत राशि 150541183 के दावे पुनर्भरण हेतु किए गये है। अतः 50 प्रतिशत से अधिक अपुनर्भरण योग्य राशि रू. 7527091 का दावा किया जाना अनियमित है।

उक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा को ज्ञापन सं. 02 दिनांक 06.09.19 जारी किया गया जिसका प्रत्युत्तर अपेक्षित रहा।

सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी

डब्ल्यू.आई–II